राष्ट्रीय लोक अदालत तृतीय, केम्प लोहावट
न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बापिणी

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 01/2025

प्रार्थीगणः– 1. गणपत राम पुत्र श्री शेराराम
2. मूलाराम पुत्र श्री शेराराम
3. हरीराम पुत्र श्री शेराराम

जातिगण मेघवाल निवासीगण पूनासर
तहसील बापिणी, जिला–फलौदी

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. चूनाराम पुत्र श्री डूंगरराम
   जाति मेघवाल निवासी पूनासर
   तहसील बापिणी, जिला फलौदी।
2. श्रीमान् तहसीलदार बापिणी।

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री विक्रमसिंह भाटी
अप्रार्थी की ओर से – कोई नहीं।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांकः– 13/9/25

प्रार्थीया द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 132, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थी की खातेदारी व कब्जाकाश्त भूमि खसरा नम्बर 1125/3 रकबा 2.6952 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि आयी हुई है व अप्राथी संख्या 1 की खसरा नम्बर 1125/4 रकबा 2.6952 हैक्टेयर भूमि ग्राम पूनासर, पटवार हल्का पूनासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी की सरहद में आई हुई है। उक्त बारानी चतुर्थ भूमि की नक्शे में तरमीम करते वक्त मौके के विपरीत तरमीम कर दी गई। प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम की जानकारी

लम्बे समय तक नहीं हुई हाल ही में प्रार्थी को इसकी जानकारी होने पर प्रार्थी ने अप्रार्थी से सम्पर्क कर उपरोक्त गलत तरमीम को शुद्ध करने हेतु कहा तो अप्रार्थी ने कहा कि तरमीम दुरस्ती का दावा प्रस्तुत कर तरमीम दुरस्त करने का आदेश न्यायालय से करवाना होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1125/3 रकबा 2.6952 हैक्टेयर व अप्रार्थी संख्या 1 की खसरा नम्बर 1125/4 रकबा 2.6952 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ भूमि ग्राम पूनासर पटवार हल्का पूनासर, तहसील बापिणी, जिला फलोदी बाबत् राजस्व नक्शे में की गई गलत तरमीम को निरस्त की जाकर मौके अनुसार नई तरमीम किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रार्थना पत्र में तहसीलदार बापिणी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गयी। मौका रिपोर्ट संलग्न पत्रावली है। मौका रिपोर्ट पर प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी व अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित होकर हल्का पटवारी द्वारा पेश मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम दुरूस्त करने हेतु अपनी सहमति दी । सहमति स्वरूप आदेशिका में हस्ताक्षर किए गए। तहसीलदार बापिणी द्वारा भी मौके अनुसार तरमीम की जानी उचित है।

बहस प्रार्थी अधिवक्ता पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध जवाब अप्रार्थी व अन्य दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1125/3 व खसरा नम्बर 1125/4 की तरमीम नजरी नक्शे व मौके से भिन्न है जो दुरस्त की जानी न्यायोचित है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसील बापिणी पटवार मण्डल पूनासर राजस्व ग्राम पूनासर में प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 1125/3 रकबा 2.6952 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 1125/4 रकबा 2.6952 हैक्टेयर बाबत् वर्तमान नक्शे में की गई गलत तरमीम के स्थान पर तहसीलदार के जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। पालना हेतु तहसीलदार बापिणी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सदस्य
राष्ट्रीय लोक अदालत
केम्प लोहावट एवं एस.डी.एम. देचू
जिला फलोदी